कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 279/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना-मेहनगर:-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में):-

दिनांक 02.08.2025 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम करती हूँ जहां मेरी मुलाकात विपक्षी राजेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान ग्राम गंजोर थाना मेंहनगर आजमगढ से मुलाकत हुई फिर हम लोग फोन पर बात करने लगे विपक्षी राजेश चौहान द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और अब जब मैं शादी की बात कर रही हू तो अभियुक्त द्वारा शादी करने से मना करते हुए , जातिसूचक गाली व जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 391/25 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1) ध , 3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

दिनांक 03.08.25 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान साकिन गंजोर थाना मेहनगर आजमगढ को उसके घर ग्राम गंजोर थाना मेंहनगर से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया । अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. राजेश चौहान पुत्र राजदेव चौहान साकिन गंजोर थाना मेहनगर आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 391/25 धारा 69/352/351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1) ध , 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. उ0नि0 तुषार त्रिपाठी थाना मेंहनगर आजमगढ।
02. का0 हीरालाल थाना मेंहनगर आजमगढ।

02.थाना - रौनापार:- युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 10.02.25 को प्रतिदिन की भाँति सुबह लगभग 10.00 बजे वादी की नाबालिग पुत्री पढने गयी थी लेकिन आज देर शाम तक घर वापस नही आयी जिसकी काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली। जिसके

आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/25 धारा 137(2) बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता की बरामदगी, बयान व अन्य साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अस्मित निषाद पुत्र राम प्रेम निषाद निवासी ग्राम भावपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया तथा धारा 87 बीएनएसएस की बढोत्तरी किया गया।।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 04.08.2025 को उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अस्मित निषाद पुत्र राम प्रेम निषाद निवासी ग्राम भावपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को ग्राम लाटघाट पुलिया से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 44/25 धारा 87/137(2)बीएनएसएस थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. अस्मित निषाद पुत्र राम प्रेम निषाद निवासी ग्राम भावपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

01.उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

02.का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

03.का0 दिलीप कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 03.08.2025 को साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा पिड़ित के खाते में रूपया 3 लाख वापस कराया गया।

साइबर थाना-जनपद आजमगढ़

साइबर क्राइम थाना पुलिस आजमगढ़ द्वारा पिड़ित के खाते में रूपया 3 लाख वापस कराया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आवेदक को एक टेलेग्राम ग्रुप में एक ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताया गया जिसके माध्यम से आवेदक को लालच दिया गया कि उनके ट्रेडिंग ऐप में निवेश कर ट्रेड करनें पर पैसे कई गुना बढ़ जायेगें आवेदक झांसे में आकर छोटा-छोटा पैसा लगाना शुरू किया जिसपर प्रार्थी के पैसों में बढोत्तरी होती दिखी जिसे देखकर आवेदक नें बड़ा निवेश किया उसके बाद फर्जी ट्रेडिंग ऐप बंद हो गया पैसे वापसी के लिए आवेदक से चार्ज के रूप में और भी पैसों की मांग की जानें लगी जिसपर आवेदक को संदेह हुआ और आवेदक साइबर थानें आकर प्रार्थना पत्र दिये जिसपर साइबर क्राइम थानें में मु0अ0सं0 24/2024 धारा 419/420 आइपीसी एवं 66सी एवं 66डी आईटी एक्ट पंजिकृत कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

बरामदगी का विवरण:-

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय,जनपद आजमगढ़ श्री हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर/अपराध श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के व साइबर सेल के हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल द्वारा साइबर थानें पर रजि0 मु0अ0सं0— 24/2024 के विवेचना के क्रम में वादी के खातें से फ्राड हुए धनराशी रूपया— 3 लाख वापस कराया गया।

रिफण्ड करानें वाली टीमः-

01. नि0 **श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह** साइबर थाना
02. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल साइबर सेल
03. का0 एजाज खान साइबर थाना

फर्जी ट्रेडिंग ऐप से सावधान रहें, जागरूकता संदेश:—

📌 1. अधिक लाभ का लालच – धोखाधड़ी की पहली सीढ़ी:फर्जी ऐप्स आपको ट्रेडिंग में बहुत अधिक मुनाफा देने का वादा करते हैं। याद रखें – "जहां ज्यादा लालच, वहां ज्यादा धोखा।"

📌 3. वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को पहचानें: केवल SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर के माध्यम से ही निवेश करें। SEBI की वेबसाइट पर अधिकृत ब्रोकर की सूची उपलब्ध है।

📌 4. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से मिली सलाह पर न करें निवेश:

कई फ्रॉडर्स व्हाट्सएप/टेलीग्राम/फेसबुक ग्रुप बनाकर फर्जी निवेश योजनाएं चलाते हैं। ऐसे लिंक से ऐप डाउनलोड या पैसे ट्रांसफर न करें।

अपना पैसा और मेहनत की कमाई किसी फर्जी वादे के झांसे में आकर न गंवाएं।

साइबर अपराध की रिपोर्ट करें — Helpline 1930 या www.cybercrime.gov.in